

## प्रारूप-झ (संलग्नक-9)

### अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

यूआईडी संख्या: UPFS/2024/108881/MRB/MORADABAD/1758/CFO

दिनांक: 19-02-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **RAJENDRA S ACADEMY** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **GATA 80 85 VILLAGE BHIKANPUR KHALEELPUR, Moradabad Kanth Road, Moradabad** तहसील - **Kanth** जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
RAJENDRA S ACADEMY	3	0	10.4 mt.

तथा प्लॉट एरिया **10102.5 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **RAJENDRA S ACADEMY** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक व्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण द्वारा दिनांक **24-02-2024** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **SATYA VEER SINGH** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि एवा जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate) (एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **25-02-2024** से **24-02-2027** तक **3 वर्षों** के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

**Note :** एफएसएसओ श्री गगन कुमार द्वारा मानचित्र/अभिलेखों का परीक्षण व स्थलीय निरीक्षण किया गया तो एफएसएसओ की संस्तुति आख्या के अनुसार भवन पूर्ण से निर्मित व संचालित है जो शासनादेश संख्या 18/छ.-पू0-8-2022-905-(34)/2016 टी0सी0दिनांक 07-01-2022 में आच्छादित है शासनादेश के अनुसार सैट बैंक की सहमति सम्बन्धित सत्ताप्राधिकारी से लेना अनिवार्य होगा अपलोड अभिलेखों में किसी प्रकार का विचलन पाया जाता है तो निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जाएगा विद्युत व्यवस्थापन की विद्युत सुरक्षा निदेशक कर ली जाए अग्निशमन व्यवस्था को सदैव कार्यशील दशा में बनाए रखने हेतु प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध रखा जाए जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रबंधक की होगी उपरोक्तानुसार एफएसओ की संस्तुति आख्या के आधार पर निर्गत।।

**"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"**

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By

(KRISHNA KANT OJHA)

[FAD078289550F5D9B50FEA91CFAF11EFC241D0E9]

25-02-2024

Principal

Rajendra's Academy  
Bhikanpur, Kanth Road  
Moradabad

COUNTER SIGNED

President

Rajendra's Academy  
Bhikanpur, Kanth Road  
Moradabad